

कार्यालय प्राचार्य, अम्बाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह (म.प्र.)

क्रमांक-सी / 311


दिनांक 28.02.2017

प्रति,

समस्त सेवानिवृत्त / मृत सहायक प्राध्यापकों  
के उत्तराधिकारी एवं अधिकारीगण  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह

बिषय- चतुर्थ पे बैंड में स्थानन संबंधी।

उपर्युक्त विषय में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा जारी किए गए पत्र क्रमांक 405 / 81 / आ.उ.शि / अनु.ब / 17 दिनांक 25 / 02 / 2017 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि, महाविद्यालय से सेवानिवृत्त एवं मृत सहायक प्राध्यापकों / अधिकारियों को यू.जी.सी. छठवें वेतनमान में देय चतुर्थ पेबैंड के प्रकरण जो नियमानुसार पात्रता रखते हो, अगर उनके प्रकरण लम्बित रह गये हो तो वे दिनांक 15 / 03 / 2017 तक अपना प्रकरण कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें जिससे आवश्यक कार्यवाही की जा कर दिनांक 31 / 03 / 2017 से पूर्व उनके प्रकरण शासन को भेजना सुनिश्चित किया जा सके। नियमों के अंतर्गत ना आने वाले प्रकरण शासन को नहीं भेजे जाएंगे। इसके साथ ही निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर शासन द्वारा भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा और शासन को इस आशय का प्रमाण-पत्र भेज दिया जावेगा कि "वर्तमान में महाविद्यालय में चतुर्थ पे बैंड का कोई भी पात्र प्रकरण शेष नहीं बचा है"।

  
प्राचार्य 28/2/2017

स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाह